

प्रपत्र "क"
[नियम 6(5) देखिए]
मृत्यु एवं सेवा-निवृत्त उपदान के लिए नाम-निर्देशन -

कारी का परिवार ही और वह उसके एक सदस्य को नाम-निर्देशित करना चाहे।

ल्लेखित व्यक्ति को, जो मेरे परिवार का एक सदस्य है, एतद्द्वारा नाम-निर्देशित करता हूँ और उसे कोई उपदान, जो सेवा में रहते हुए मेरी मृत्यु हो जाने, मुख्य महाप्रबन्धक द्वारा मुझे स्वीकृत किये जाय, प्राप्त करने का अधिकार और मेरी मृत्यु हो जाने पर कोई ऐसा उपदान प्राप्त करने का अधिकार प्रदान, जो सेवा-निवृत्त होने पर मुझे अनुबन्ध हो जाने पर, मेरी मृत्यु के समय अदत्त रह जाय।

1-निर्देशित व्यक्ति का नाम और पता	अधिकारी के साथ सम्बन्ध	आयु	आकस्मिकतायें जिनके कारण नाम-निर्देशन अविधिमान्य हो जायेगा	उस व्यक्ति या उन व्यक्तियों का, यदि कोई हो, नाम, पता और सम्बन्ध जिसे/जिन्हें नाम निर्देशित व्यक्ति की अधिकारी के पूर्व मृत्यु, अधिकारी की मृत्यु होने के पश्चात् किन्तु उपदान का भुगतान प्राप्त करने के पूर्व हो जाने की दशा में नाम-निर्देशित व्यक्ति को प्रदत्त व्यक्ति को प्रदत्त अधिकारी अन्तर्गत हो जायेगा	प्रत्येक को देय उपदान की धनराशि या अंश
1	2	3	4	5	6

यह नाम-निर्देशन मेरे द्वारा पहले को किये गये नाम-निर्देशन का, जो रद्द हो जायेगा, अतिक्रमण करता है।

दिनांक 20

स्थान

हस्ताक्षर के साक्षी

1.....

2.....

अधिकारी के हस्ताक्षर

(नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा भरा जायेगा)

..... द्वारा नाम-निर्देशन

नियुक्ति प्राधिकारी के हस्ताक्षर

पदनाम

दिनांक

कार्यालय

पदनाम

प्रपत्र "ख"
[नियम 6(5) देखिए]
मृत्यु एवं सेवा-निवृत्त उपदान के लिए नाम-निर्देशन

जब अधिकारी का परिवार हो और वह उसके एक से अधिक सदस्य को नाम-निर्देशित करना चाहे।

में नीचे उल्लिखित व्यक्तियों को, जो मेरे परिवार के सदस्य हैं, एतद्द्वारा नाम निर्देशित करता हूँ, और उन्हें कोई उपदान जो सेवा में रहा हूँ की दशा में मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तरांचल, जल संस्थान, देहरादून द्वारा स्वीकृत किया जाय, विनिर्दिष्ट सीमा तक प्राप्त करने का अधिकार अथवा यदि विनिर्दिष्ट सीमा तक कोई ऐसा उपदान प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करता हूँ जो सेवा-निवृत्त होने पर मुझे अनुभूत हो जाय पर मृत्यु के

1	2	3	4	5	6
नाम-निर्देशित व्यक्ति का नाम और पता	अधिकारी से सम्बन्ध	आयु	प्रत्येक को देय उपदान की धनराशि या अंश	आवर्तमानकार्य जिनके कारण नाम-निर्देशन अधिमान्य हो जायेगा	उक्त व्यक्ति का यदि कोई भी, नाम, पता, और सम्बन्ध जिसे नाम निर्देशित व्यक्ति को अधिकारी के पूर्व मृत्यु हो जाने या नाम निर्देशित व्यक्ति की अधिकारी की मृत्यु होने के पश्चात् किन्तु उपदान को भुगतान प्राप्त करने के पूर्व ही जाने की दशा नाम निर्देशित व्यक्ति को प्रदत्त अधिकार अन्तर्गत हो जायेगा

यह नाम-निर्देशन मेरे द्वारा पहले को किये गये नाम-निर्देशन का, जो पर हो जायेगा।

अवधेय : अधिकारी को अन्तिम प्रविष्टि के नीचे रिक्त स्थान के आस-पास लाइन खींच देना चाहिए जिससे कि उपरोक्त तालिका में नाम-निर्देशन का नाम सम्मिलित न किया जा सके।

दिनांक 20
हस्ताक्षर के साथी
1.....
2.....

स्थान

यह तालिका इस प्रकार भरा जाना चाहिए कि इसके अन्तर्गत उपदान की सम्पूर्ण धनराशि आ जाय।
इस तालिका में प्रदर्शित उपदान की धनराशि/अंश के अन्तर्गत मूल-नाम-निर्देशित व्यक्ति को देय सम्पूर्ण धनराशि/अंश अथवा उपदान प्राप्त हो सके।

..... द्वारा नाम-निर्देशन

पदनाम
कार्यालय

(निर्दिष्ट अधिकारी)
निर्दिष्ट प्राधिकारी का पता
दिनांक
पदनाम

प्रपत्र "ग"
[नियम 6(5) देखिए]
मृत्यु एवं सेवा-निवृत्ति उपदान के लिए नाम-निर्देशन -

(जब अधिकारी का परिवार न हो और किसी एक व्यक्ति को नाम-निर्देशित करना चाहे)

मैं, जिसका परिवार नहीं है, नीचे उल्लिखित व्यक्ति को एतद्वारा नाम-निर्देशित करता हूँ और उसे कोई उपदान जो सेवा में रहते हुए मेरी मृत्यु हो जाने की दशा में मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तरांचल जल संस्थान, देहरादून द्वारा स्वीकृत किया जाय, प्राप्त करने का अधिकार और मेरी मृत्यु होने पर कोई ऐसा उपदान प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करता हूँ, जो सेवानिवृत्ति होने पर मुझे अनुमन्य हो जाने पर मेरी मृत्यु के समय अदत्त रह जाये।

नाम-निर्देशित व्यक्ति का नाम और पता	अधिकारी के साथ सम्बन्ध	आयु	आकस्मिकतायें जिनके कारण नाम-निर्देशन अविधिमान्य हो जायेगा	उस व्यक्ति या उन व्यक्तियों का, यदि कोई हो, नाम, पता और सम्बन्ध जिसे/जिन्हें नाम-निर्देशित व्यक्ति की अधिकारी के मृत्यु हो जाने या नाम निर्देशित व्यक्ति का अधिकारी की मृत्यु होने के पश्चात् किन्तु उपदान का भुगतान प्राप्त करने के पूर्व हो जाने की दशा में नाम-निर्देशित व्यक्ति को प्रदत्त अधिकारी अन्तरित हो जायेगा	प्रत्येक को देय उपदान की धनराशि या अंश
1	2	3	4	5	6

यह नाम-निर्देशन मेरे द्वारा पहले को किये गये नाम-निर्देशन का, जो रद्द हो जायेगा, अतिक्रमण करता है।

दिनांक 20

स्थान

हस्ताक्षर के साक्षी

1.....

2.....

अधिकारी के हस्ताक्षर

(नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा भरा जायेगा)

..... द्वारा नाम-निर्देशन

पदनाम

नियुक्ति प्राधिकारी के हस्ताक्षर

कार्यालय

दिनांक

पदनाम

यह स्तम्भ इस प्रकार भरा जाना चाहिए कि इसके अन्तर्गत उपदान की सम्पूर्ण धनराशि आ जाये।

प्रपत्र "घ"

[नियम 6(5) देखिए]

मृत्यु एवं सेवा-निवृत्ति उपदान के लिए नाम-निर्देशन -

(जब अधिकारी का परिवार न हो और वह एक से अधिक व्यक्तियों को नाम-निर्देशित करना चाहे)

मैं, जिसका परिवार नहीं है, नीचे उल्लिखित व्यक्ति को एतद्द्वारा नाम-निर्देशित करता हूँ और उसे कोई उपदान जो सेवा में रहते हुए मेरी मृत्यु हो जाने की दशा में मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तरांचल जल संस्थान, देहरादून द्वारा स्वीकृत किया जाय, नीचे विनिर्दिष्ट सीमा तक प्राप्त करने का अधिकार और मेरी मृत्यु होने पर नीचे विनिर्दिष्ट सीमा तक कोई ऐसा उपदान प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करता हूँ जो सेवा-निवृत्त होने पर मुझे अनुमन्य हो जाने पर अदत्त रह जाय।

नाम-निर्देशित व्यक्तियों का नाम और पता	अधिकारी के साथ सम्बन्ध	आयु	प्रत्येक को देय उपदान की धनराशि या अंश	आकस्मिकताये जिनके कारण नाम-निर्देशन अधिमन्य हो जायेगा	उस व्यक्ति या उन व्यक्तियों का, यदि कोई हो, नाम, पता और सम्बन्ध जिसे/जिन्हे नाम-निर्देशित व्यक्ति की अधिकारी के पूर्व मृत्यु हो जाने या नाम निर्देशित व्यक्ति की मृत्यु अधिकारी की मृत्यु होने के पश्चात्। किन्तु उपदान का भुगतान प्राप्त करने के पूर्व हो जाने की दशा में नाम-निर्देशित व्यक्ति को प्रदत्त अधिकारी अन्तर्गत हो जायेगा	प्रत्येक को देय उपदान की धनराशि या अंश
1	2	3	4	5	6	7

यह नाम-निर्देशन मेरे द्वारा पहले को विद्ये गये नाम-निर्देशन का, जो रद्द हो जायेगा, अतिक्रमण करता है।

अवधेय : अधिकारी को अन्तिम प्रविष्टि के नीचे रिक्त स्थान के आरपार लाइन खींच देना चाहिए जिससे कि उसके हस्ताक्षर हो जाने के पश्चात् किसी

का नाम सम्मिलित न किया जा सके।

दिनांक 20

हस्ताक्षर के साथी

स्थान

1.....

2.....

अधिकारी के हस्ताक्षर

यह स्तम्भ इस प्रकार भरा जाना चाहिए जिससे कि इसके अन्तर्गत उपदान की सम्पूर्ण धनराशि आ जाय।

इस स्तम्भ में प्रदर्शित उपदान की धनराशि/अंश के अन्तर्गत मूल नाम-निर्देशित व्यक्ति को देय सम्पूर्ण धनराशि/अंश आ जाना चाहिए।

(निपुक्ति प्राधिकारी द्वारा भरा जायेगा)

..... द्वारा नाम-निर्देशन

पदनाम

कार्यालय

निपुक्ति प्राधिकारी के हस्ताक्षर

दिनांक

पदनाम

प्रपत्र "ड."

[नियम 7(5) देखिए]

पारिवारिक पेंशन के लिए नाम निर्देशन

मैं नीचे उल्लिखित व्यक्तियों को, जो मेरे पारिवारिक के सदस्य हैं, पारिवारिक पेंशन जो 90 वर्ष की अर्हकारी सेवा पूरी करने के पश्चात् मेरी मृत्यु जाने की दशा में मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तरांचल जल संस्थान, देहरादून द्वारा स्वीकृत किया जाय, नीचे प्रदर्शित क्रम में प्राप्त करने के लिए नाम निर्देशित कर रहा हूँ।

नाम-निर्देशित व्यक्ति का नाम और पता	अधिकारी के साथ सम्बन्ध	आयु	विवाहित या अविवाहित
1	2	3	4

यह नाम-निर्देशन मेरे द्वारा पहलेको किये गये नाम-निर्देशन का, जो रद्द हो जायेगा, अतिक्रमण करता है।

अवधेय : अधिकारी को अन्तिम प्रविष्टि के नीचे रिक्त स्थान के आरपार लाइन खींच देना चाहिए जिससे कि उसके हस्ताक्षर हो जाने के पश्चात् किसी का नाम सम्मिलित न किया जा सके।

दिनांक २०

स्थान

हस्ताक्षर के साक्षी

१.

२.

अधिकारी के हस्ताक्षर

(नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा भरा जायेगा)

..... द्वारा नाम निर्देशन

पदनाम

कार्यालय

नियुक्ति प्राधिकारी के हस्ताक्षर

दिनांक

पदनाम

प्रपत्र "ब"
[नियम 7(9) देखिए]

..... कार्यालय के स्वर्गीय
के लिए आवेदन-पत्र :

की परिश्रम/कर्मचारी

आवेदन का प्रारूप

1. आवेदक का नाम
2. मूल अधिकारी/पेंशन भोगी से सम्बन्ध
3. सेवानिवृत्ति का दिनांक, यदि मूल अधिकारी पेंशन का हकदार था
4. अधिकारी/पेंशन भोगी की मृत्यु का दिनांक
5. वह क्रम जिसमें आवेदक का नाम-निर्देशन "ड." में आया है
6. मूल अधिकारी के उत्तरजीवी सम्बन्धियों का/के नाम और आयु

नाम

(ईसवी सन् के अनुसार)

जन्म का दिनांक

- (1) विधवा/पति
- (2) पुत्र
- (3) अविवाहित पुत्रियां
- (4) विधवा पुत्रियां
- (पुत्र और पुत्रियों में सौतेले और दत्तक बालक भी सम्मिलित हैं)
- (5) पिता
- (6) माता
- (7) अविवाहित भाई
- (8) अविवाहित बहनें
- (9) विधवा बहनें

(भाई और बहनों में सौतेले भाई और सौतेली बहनें भी सम्मिलित हैं)

7. उस स्थान का नाम जहां पेंशन का भुगतान वांछनीय है/ (जिले का नाम मोटा

8. आवेदक के बारे में विवरण :-

- (1) जन्म का दिनांक (ईसवी सन् के अनुसार)
- (2) ऊँचाई
- (3) चेहरा, हाथ आदि पर अभिज्ञान का वैयक्तिक चिन्ह, यांसे भाई का
- (4) हस्ताक्षर या बायें हाथ की अंगुली और अंगूठे के चिन्ह

कनिष्ठका

अनामिका

मध्यमा

तर्जनी

अंगूठ

9. निम्नलिखित द्वारा अनुप्रमाणित:

निम्नलिखित द्वारा साक्षीकृत

(1)

(1)

(2)

(2)

10. आवेदक का पूरा पता

टिप्पणी :- (1) पेंशन के आवेदन-पत्र के साथ दो प्रतियों में आवेदक का विवरण और उसके हस्ताक्षर/अंगूठा और अंगुलियों के चिन्ह संलग्न होने चाहिए जो उस नगर या ग्राम के जिसमें आवेदक निवास करता है, दो उत्तरदायी नागरिकों द्वारा यथाविधि सत्यापित किए गए हैं।
(2) यदि आवेदक आवेदन-पत्र की मद 6 (ख) के अन्तर्गत आता हो तो उसे मूल अधिकारी/पेंशन भोगी पर आश्रित होने का सबूत प्रस्तुत करना चाहिए।
(3) यदि आवेदक मूल अधिकारी/पेंशनभोगी का अवयस्क भाई है तो मद 8 (1) के ब्यौरे के समर्थन में उसे ऐसे आयु प्रमाण-पत्र की जिसमें उसके जन्म का दिनांक उल्लिखित हो, मूल प्रति और दो अनुप्रमाणित प्रतियां संलग्न करना चाहिए।


मूल प्रमाण-पत्र सत्यापन के पश्चात् वापस कर दिए जावेंगे।

प्रपत्र "छ"

[नियम 13(2) देखिए]


पेंशन या उपदान और मृत्यु एवं सेवा-निवृत्ति उपदान के लिए आवेदन पत्र

1. आवेदक का नाम
2. पिता का नाम और महिला अधिकारी की स्थिति में पति का नाम भी
3. धर्म और राष्ट्रियता
4. स्थानीय निवास का पता, ग्राम, नगर जिला और राज्य प्रदर्शित करते हुए



फोटो पेंशनभोगी

5. (क) वर्तमान या अन्तिम नियुक्ति
- (ख) वर्तमान या अन्तिम मौलिक नियुक्ति
6. (क) सेवा प्रारम्भ करने का दिनांक
- (ख) सेवा समाप्ति का दिनांक



फोटो (पत्नी)

7. महापालिका/नगरपालिका/जल संस्थान का नाम जिसके अधीन नियोजन के क्रम में सेवा की गयी है।
8. सेवा अवधि, व्यवधान और अर्हकारी अवधि के विवरण सहित
वर्ष माह दिन

9. आवेदित पेंशन या उपदान का वर्ग और आवेदन का कारण
10. औसत परिलब्धियाँ
11. प्रस्तावित पेंशन या उपदान
12. प्रस्तावित मृत्यु एवं सेवा निवृत्ति उपदान
13. दिनांक जब से पेंशन प्रारम्भ होनी है
14. भुगतान का स्थान
15. नाम निर्देशन निम्नलिखित में से किसके लिए किया गया है :
(1) पारिवारिक पेंशन, और
(2) मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति उपदान
16. ईसवी सन् के अनुसार आवेदक के जन्म का दिनांक
17. ऊंचाई
18. (क) अभिज्ञान चिन्ह
(ख) बायें हाथ के अंगूठे और अंगुलियों के निशान
अंगुष्ठ तर्जनी मध्यमा अनामिका

9. सरकारी सेवक के जीवित रहने अथवा मृत्यु होने दोनों दशाओं में पारिवारिक पेंशन प्राप्तकर्ता कें -
(क) नमूने के हस्ताक्षर 1.
अथवा 2.
अंगूठा निशान 3.

(ग) जन्म-तिथि -

- (1) वैयक्तिक पहचान चिन्ह 1.
2.

(ड.) ऊँचाई

20. दिनांक जब आवेदक ने पेंशन/उपदान के लिए आवेदन किया
21. यदि आवेदक भविष्य निधि का सदस्य हो तो उसकी लेखा सख्या उद्धृत कीजिए
22.

आवेदक के हस्ताक्षर

महाप्रबन्धक
उत्तरांचल जल संस्थान

यदि निश्चित रूप से ज्ञात न हो तो इसे सर्वोत्तम सूचना या अनुमान के आधार पर उल्लिखित करना चाहिए।
ऐसे अधिकारियों से जो अंग्रेजी, हिन्दी या अन्य क्षेत्रीय भाषा में हस्ताक्षर कर सकते हों, अपने अंगूठे और अंगुलियों के निशान लगाना अपेक्षित न होगा तथा पुरुष के दांये हाथ के तथा महिला के दांये हाथ के निशान लिए जाये।
सेवावृत्त के व्यवधान
प्रदर्शित करते हुए
जन्म का दिनांक

अधिष्ठान	नियुक्ति	वेतन दिनांक	कार्यकारी भत्ता दिनांक	प्रारम्भ का	समाप्ति का दिनांक
1	2	3	4	5	6

अवधि जिसकी गणना सेवा के रूप में की गई	अवधि जिसकी गणना सेवा के रूप में नहीं की गई	अभ्युक्ति	किस प्रकार सत्यापित की गयी	मुख्य महाप्रबन्धक उत्तरांचल जल संस्थान द्वारा अभ्युक्ति
7	8	9	10	11

(क) महाप्रबन्धक उत्तरांचल जल संस्थान द्वारा अभ्युक्ति -

- आवेदक के चरित्र और विगत आचरण के सम्बन्ध में
- किस निलम्बन यापदावनित का स्पष्टीकरण
- आवेदक द्वारा पहले प्राप्त किसी उपदान या पेंशन के सम्बन्ध में
- कोई अन्य अभ्युक्ति -

5. महाप्रबन्धक, उत्तरांचल जल संस्थान की यह विनिर्दिष्ट राय कि क्या सेवा की गई सेवा प्रमाणित है और उसे स्वीकार किया जाना चाहिए या नहीं।
 (ख) पेंशन स्वीकृत करने वाले प्राधिकारी के आदेश अधोहस्ताक्षरी अपना यह समाधान होने पर कि श्री/श्रीमती
 की गई सेवा पूर्णतया सन्तोषप्रद रही है, एतद्द्वारा नियमों के अधीन यथा अनुमन्य पूर्ण पेंशन/उपदान की, जो मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तरांचल जल संस्थान द्वारा
 किया जाय, स्वीकृति के आदेश प्रदान करते हैं। पेंशन की स्वीकृति दिनांक से प्रारम्भ होगी।

या

अधोहस्ताक्षरी अपना यह समाधान होने पर कि श्री द्वारा की गई सेवा पूर्णतया सन्तोषप्रद नहीं रही है
 द्वारा आदेश देते हैं कि विनिर्दिष्ट धनराशि या प्रतिशत का उल्लेख करें। कम कर दिया जायेगा। इस पेंशन की स्वीकृति दिनांक से प्रारम्भ होगी।
 यहाँ विनिर्दिष्ट धनराशि या प्रतिशत का उल्लेख करें। कम कर दिया जायेगा। इस पेंशन की स्वीकृति दिनांक से प्रारम्भ होगी।

सेवा अवधि पेंशन उपदान और मृत्यु एवं सेवा निवृत्ति उपदान, यदि कोई हो
 देय है, और पेंशन निधि पर प्रभाय है।

यह आदेश इस शर्त के अधीन है कि यदि मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तरांचल जल संस्थान, देहरादून द्वारा यथा प्राधिकृत पेंशन की धनराशि वाद में उस धनराशि
 जिसका नियमों के अधीन पेंशन भोगी हकदार है, अधिक पाई जाय तो, उससे ऐसी अतिरिक्त धनराशि को वापस करने को कहा जायेगा, इस शर्त को स्वीकार करते
 ए सेवा निवृत्त होने वाले अधिकारी से एक घोषणा-पत्र प्राप्त कर लिया गया है और वह संलग्न है/घोषणा पत्र प्राप्त कर लिया जायेगा और उसे पृथक रूप से प्रस्तुत
 किया जायेगा।

महाप्रबन्धक
 उत्तरांचल जल संस्थान

ग) लेखा परीक्षा मूल्यांकन

1. अर्हकारी सेवा की कुल अवधि जो अधिवार्षिकी/सेवानिवृत्ति पेंशन स्वीकृत करने के लिए स्वीकार की गई हो और ऐसे कारण जिनसे सेवा की किसी अवधि की,
 यदि कोई हो, गणना न की गयी हो, जो सेवा की ऐसी अवधि से, यदि कोई हो, भिन्न हो, जिसकी गणना न किये जाने के कारणों को मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तरांचल
 जल संस्थान द्वारा द्वितीय पृष्ठ पर अभिलिखित किया गया हो।
 टिप्पणी दिनांक से प्रारम्भ होकर और सेवानिवृत्ति के दिनांक तक की सेवा का सत्यापन अभी तक नहीं हुआ है। यह कार्य पेंशन स्वीकृत करने
 वाले प्राधिकारी द्वारा किया जाना चाहिए, जिसके पश्चात् सेवानिवृत्ति वेतन भुगतान आदेश जारी किया जायेगा।
2. अधिवार्षिकी/सेवा निवृत्ति पेंशन की धनराशि जो स्वीकार की गई रूपया।
3. निम्नलिखित रूप में घटाने के पश्चात् अधिवार्षिकी/सेवानिवृत्ति पेंशन की धनराशि पेंशन स्वीकृत करने वाले
 प्राधिकारी द्वारा पेंशन में घटायी गई धनराशि रूपया।
 मृत्यु एवं सेवा निवृत्ति उपदान में उत्तरांचल जल संस्थान के अंशदान के समतुल्य पेंशन की धनराशि रूपया।
 कुल घटायी गई धनराशि रूपया।
 शुद्ध पेंशन की धनराशि रूपया।
4. अर्हकारी सेवा की कुल अवधि, जो विशेष अतिरिक्त पेंशन की स्वीकृति के लिये साधित हुई है।
5. विशेष अतिरिक्त पेंशन को धनराशि यदि कोई हो।
6. दिनांक जब से अधिवार्षिकी/सेवा निवृत्ति पेंशन/मृत्यु एवं सेवा-निवृत्ति उपदान अनुमन्य है।
7. लेखा शीर्षक, जिस पर पेंशन/उपदान और मृत्यु एवं सेवा-निवृत्ति उपदान प्रभाय है।

महाप्रबन्धक
 उत्तरांचल जल संस्थान

(संक्षिप्त विवरण)

पेंशन या उपदान के लिए आवेदन-पत्र

आवेदन पत्र का दिनांक
 आवेदक का नाम
 अन्तिम पद
 पेंशन या उपदान का वर्ग
 स्वीकृति प्राधिकारी
 स्वीकृत पेंशन की धनराशि
 स्वीकृत उपदान की धनराशि
 प्रारम्भ का दिनांक
 स्वीकृति का दिनांक

स्वीकृति प्राधिकारी के हस्ताक्षर
 और पदनाम

प्रपत्र (ख)

[नियम 13 (4) देखिए]

(सेवा-निवृत्त होने वाले अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा)

चूंकि मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तरांचल जल सस्थान, ने दिनांक से मेरी पेंशन के रूप में मुझे रूपया प्रति मास की धनराशि और मेरे उपदान/मृत्यु एवं सेवा-निवृत्त उपदान की धनराशि के रूप में रूपये की धनराशि स्वीकृत करने की सम्मति दी है। अतएव, मैं एतद्वारा अभिस्वीकार करता हूँ कि उक्त धनराशि (धनराशियों) को स्वीकार करने में, मैं पूर्णतया समझता हूँ कि यह पेंशन/उपदान और मृत्यु एवं सेवा-निवृत्ति उपदान उस धनराशि से, जिसका मैं नियमों के अधीन हकदार हूँ, अधिक पाये जाने पर पुनरीक्षण के अधीन होगी और मैं वचन देता हूँ कि मैं ऐसे पुनरीक्षण के लिए कोई आपत्ति नहीं करूंगा। मैं ऐसी धनराशि को, जो मुझे धनराशि से, जिसका मैं अन्ततः हकदार पाया जाऊ, अधिक भुगतान की गई हो, वापस करने का वचन भी देता हूँ।

सेवा निवृत्त होने वाले
अधिकारी के हस्ताक्षर

1. साक्षी का हस्ताक्षर, पता और व्यवसाय -

(एक)

(दो)

(तीन)

2. साक्षी का हस्ताक्षर, पता और व्यवसाय -

(एक)

(दो)

(तीन)

इस घोषणा-पत्र के उस नगर, ग्राम या परगना के, जिसमें आवेदक निवास करता है, दो प्रतिष्ठित व्यक्ति साक्षी होने चाहिए।

प्रपत्र (स)

[नियम 13 (4) देखिए]

(मृत अधिकारी के विधिक उत्तराधिकारी या परिवार के सदस्य द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा)

चूंकि मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तरांचल जल संस्थान ने श्री (पदनाम) जो दिनांक को सेवा-निवृत्त हुए और जिनकी मृत्यु दिनांक की दूर के उपदान/मृत्यु एवं सेवा-निवृत्ति उपदान पारिवारिक पेंशन की धनराशि के रूप में मुझे रुपये की धनराशि स्वीकृत करने का भ्रमति दी है, अतएव, मैं एतद्वारा अभिस्वीकार करता हूँ कि उक्त धनराशि (धनराशियों) को स्वीकार करने में, मैं पूर्णतया समझता हूँ कि यह पेंशन/उपदान और मृत्यु एवं सेवा-निवृत्ति उपदान/पारिवारिक पेंशन, उस धनराशि से, जिसका मैं नियमों के अधीन हकदार हूँ अधिक पायें जाने पर पुनरीक्षण के अधीन होगी और मैं यचन देता हूँ कि मैं ऐसे पुनरीक्षण के लिए कोई आपत्ति नहीं करूंगा। ऐसी धनराशि को, जो मुझे उस धनराशि से जिसका मैं अन्ततः हकदार पाया जाऊँ, अधिक भुगतान की गई हो, वापस करने का यचन देता हूँ।

मृत अधिकारी के विधिक,
उत्तराधिकारी या परिवार
के सदस्य के हस्ताक्षर

1. साक्षी का हस्ताक्षर, पता और व्यवसाय
(एक)
(दो)
(तीन)
2. साक्षी का हस्ताक्षर पता और व्यवसाय
(एक)
(दो)
(तीन)

इस घोषणा पत्र के उस नगर, ग्राम या परगना के, जिसमें आवेदक निवास करता है, दो प्रतिष्ठित व्यक्ति साक्षी होने

प्रपत्र "प"

(नियम 21 का परन्तुक देखिए)

मृत अधिकारी के विधिक उत्तराधिकारी द्वारा दिया जाने वाला (घोषणा का प्रपत्र)

चूंकि मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तरांचल जल संस्थान, ने आवश्यक जांच पूरी होने और सही धनराशि के अवधारण को अन्तिम रूप दिये जाने की प्रत्याशा में मुझे (नाम) पारिवारिक पेंशन के रूप में रूपमें सहमति दे दी है। अतएव मैं इस करार के माध्यम से स्वीकार करता हूँ कि उपदान और मासिक पारिवारिक पेंशन की अग्रिम धनराशि लेने में, मैं पूर्णतया समझता हूँ कि यह मुझे अनुमन्य उपदान और पारिवारिक पेंशन की धनराशि के सम्बन्ध में आवश्यक जांच पूरी होने के पश्चात् पुनरीक्षण के अधीन होगी, और मैं इस पुनरीक्षण पर इस आधार पर कोई आपत्ति न उठाने का वचन देता हूँ कि अन्तरिम उपदान और पारिवारिक पेंशन की धनराशि जो इस समय मुझे दी जा रही है, उपदान और पारिवारिक पेंशन की उस धनराशि से अधिक है जो मुझे अन्तिम रूप से स्वीकृत की जावेगी, मैं अन्तिम रूप से स्वीकृत उपदान और मासिक, पारिवारिक पेंशन की धनराशि से अधिक भुगतान की गई धनराशि को, यदि कोई हो, तुरन्त वापस करने का भी वचन देता हूँ।

साक्षियों का हस्ताक्षर और पता :

1.

2.

हस्ताक्षर

दिनांक

कि मुख्य महाप्रबन्ध, उत्तरांचल जल संस्थान ने आवश्यक जांच और सही धनराशि के अवधारण को अन्तिम रूप दिये जाने की प्रत्याशा में मुझे (श्री) उपदान के रूप में रुपये और पेंशन के रूप में प्रतिमास अग्रिम अन्तरिम भुगतान करने की सहमति दे दी है, अतएव मैं इस करार के माध्यम से स्वीकार करता हूँ दान और मासिक पेंशन की अग्रिम धनराशि लेने में मैं पूर्णतया समझता हूँ कि यह मुझे अनुमन्त्र उपदान और पेंशन की धनराशि के सम्बन्ध में आवश्यक जांच पूरी होने के पश्चात् पुनरीक्षण के अधीन होगी, और मैं पुनरीक्षण पर इस आधार पर कोई आपत्ति न उठाने का वचन देता हूँ। अन्तरिम उपदान और पेंशन की धनराशि जो इस समय मुझे भुगतान की जा रही है, उपदान और मासिक पेंशन की उस धनराशि से अधिक है जो मुझे अन्तिम रूप से स्वीकृत की जायेगी। मैं अन्तिम रूप से स्वीकृत उपदान और मासिक पेंशन की धनराशि से अधिक भुगतान की गई धनराशि को, यदि कोई हो तुरन्त वापस करने का भी वचन देता हूँ -

साक्षियों का हस्ताक्षर और पता :

1.

हस्ताक्षर

2.

दिनांक

‘प्राप्त’

डाफ्ट में जांच कराये बिना पेंशन के राशिकरण के लिए आवेदन पत्र का प्राप्त शा०आ०सं०सा-१४४५/दस-७०१०-७६,
दिनांक जून, १९८० के अधीन निर्धारित

फोटो के लिए स्थान

मैं अपनी.....

पेंशन रूपया में से रूपये.....

राशिकरण कराने की प्रार्थना करता हूँ। मैं राशिकृत धनराशि का उपयोग पृष्ठ २ पर उल्लिखित उद्देश्य के लिए करूँगा।
मुझे यह विश्वास है कि राशिकरण मेरे एवं मेरे परिवार के लिए विशिष्ट एवं स्थायी रूप से लाभप्रद होगा। मैंने नीचे
अंकित कालम में वांछित सूचना ध्यान पूर्वक अंकित की है।

दिनांक.....

स्थान.....

हस्ताक्षर

पदनाम.....

पता.....

१- स्पष्ट अक्षरों में नाम.....

२- जन्म तिथि.....

३- सेवा निवृत्ति के समय पदनाम तथा कार्यालय का नाम.....

४- पेंशन की धनराशि.....

५- पेंशन की श्रेणी.....

६- खजाने तथा बैंक का नाम तथा लेखा संख्या जिसमें पेंशन ली जा रही है.....

७- यदि राशिकृत मूल्य को अदायगी लेखाधिकारी के माफत नहीं की जाती है जिसने पेंशन प्राधिकृत की हैं तो उस खजाने
अथवा बैंक का नाम लिखे जिसके माफत राशिकृत मूल्य की अदायगी की जाय.....

८- पो० ओ० संख्या.....

९- रकम (पुर्ण रूपों में) अथवा पेंशन का वह भाग जिसका राशिकरण कराने का प्रस्ताव है.....

१०-(क) क्या आप उत्तर प्रदेश लिवरलाइज्ड पेंशन रूल्स

१९६१ अथवा

(ख) उत्तर प्रदेश रिटायरमेण्ट बेनिफिट रूल्स १९६१ के नियम ।। अथवा।

(ग) उत्तर प्रदेश रिटायरमेण्ट बेनिफिट रूल्स १९६१ (सम्यक)

से शासित है ।

(घ)

उपयुक्त (क) अथवा (ख) से शासित होने की दशा में सकल पेंशन की धनराशि अंकित की जाय

११- पहले यदि पेंशन राशिकरण कराने सम्बन्धी कोई आवेदन पत्र दिया गया हो तो उनका विवरण तथा क्या पहले कभी आप किसी चिकित्साधिकारी के सामने पेश हुए है अथवा नहीं

हस्ताक्षर.....

पदनाम.....

दिनांक.....

राशिकरण का उद्देश्य

अनुमानित व्यय

१- भवन क्रय अथवा निर्माण हेतु-

२- ऋण की अदायगी हेतु-

३- बच्चे की शिक्षा हेतु-

४- विवाह सम्बन्धित व्यय हेतु-

५- व्यापार आरम्भ करने हेतु-

दिनांक.....

स्थान.....

हस्ताक्षर.....

उत्तराखण्ड जल संस्थान, देहरादून

भाग-3

प्रार्थी का विवरण

पेंशन पहचान पत्र सं० / / दिनांक

1. सरकारी सेवक का नाम
पद नाम तथा कार्यालय का नाम
2. पारिवारिक पेन्शन/मृत्यु ग्रेच्युटी हेतु प्रार्थी का नाम तथा सरकारी सेवक से सम्बन्ध
3. नमूने के हस्ताक्षर
(क) सरकारी सेवक के
(उसके जीवित रहने पर करवाये जायेंगे)

.....
.....
1.
2.
3.

(ख) सरकारी सेवक की पत्नी/पति या अन्य प्रार्थी (उसके जीवित रहने अथवा मृत्यु होने दोनों दशाओं में करवाये जायेंगे)

1.
2.
3.

4. यदि सरकारी सेवक या उसकी पत्नी/पति अथवा अन्य प्रार्थी अंग्रेजी, हिन्दी अथवा उर्दू में हस्ताक्षर करने में असमर्थ हैं तो दांये अथवा बांये अंगूठे एवं उंगलियों के निशान
(क) पेंशनर की ऊँचाई
(ख) पत्नी/पति या अन्य प्रार्थी के

फोटो ग्राफ

5. वैक्तित्व पहचान

(क) पेन्शनर की ऊँचाई
(ख) पेन्शनर के पहचान चिन्ह
(ग) पत्नी के पहचान चिन्ह

6. सरकारी सेवक की पत्नी/पति के साथ पासपोर्ट आकार संयुक्त फोटो। मृत्यु की दशा में प्रार्थी का पासपोर्ट आकार में अपना (फोटो) फोटो की तीन प्रतियाँ दी जायेगी जिनमें से दो फार्मस पर चिपकाई जायेगी तथा एक प्रति एक छोटे लिफाफे में पेंशन प्रपत्र के साथ अलग से लगा दी जायेगी। प्रदेश के बाहर पेंशन लेने पर पांच प्रतियाँ प्रस्तुत की जायेगी। जिनमें से फार्मस तथा पांचवी प्रति एक छोटे लिफाफे में पेंशन प्रपत्र के साथ अलग से लगा दी जायेगी।

सत्यापित

उत्तराखण्ड जल संस्थान

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि विभागीय अथवा किसी अन्य कार्यवाही के परिणामस्वरूप ₹..... की धनराशि देय है/कोई धनराशि देय नहीं है।

अधिशाली अभियन्ता

महाप्रबन्धक

उत्तराखण्ड जल संस्थान

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि अन्य मदों में (मद स्पष्ट की जाय) ₹..... की धनराशि देय है/कोई धनराशि देय नहीं है।

अधिशाली अभियन्ता

महाप्रबन्धक

उत्तराखण्ड जल संस्थान

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री.....
(सरकारी सेवक का नाम) के विरुद्ध कोई न्यायिक/वैभागीय अथवा प्रशासनाधिकरण जांच लम्बित नहीं है/है।

(यदि लम्बित है तो उसका संक्षिप्त विवरण जैसे- यदि सरकार को वित्तीय हानि पहुंचाई गयी है तो उसका आधार एवं धनराशि यदि गम्भीर दुराचरण के दोषी हों तो उसका विवरण दिया जाय)

अधिशाली अभियन्ता

महाप्रबन्धक

उत्तराखण्ड जल संस्थान

देहरादून – 248001

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती.....
सेवानिवृत्त..... सम्पूर्ण सेवाकाल में कभी भी शासन द्वारा
जल संस्थान कर्मचारियों हेतु स्वीकृत दरों से ऊंची दरों पर मंहगाई भत्ता, अतिरिक्त
मंहगाई भत्ता, अन्तरित सहायता तदर्थ वेतन एवं अन्य किसी भत्ते का भुगतान नहीं किया
गया था।

शाखा अधिकारी/महाप्रबन्धक

उत्तराखण्ड जल संस्थान

देहरादून – 248001

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती.....
सेवानिवृत्त..... अपने सम्पूर्ण सेवाकाल में कभी भी
निलम्बित एवं अवैतनिक अवकाश पर नहीं रहे।

शाखा अधिकारी/महाप्रबन्धक

उत्तराखण्ड जल संस्थान

देहरादून – 248001

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री.....
सेवानिवृत्त..... को अंतिम पेंशन उपदान का भुगतान नहीं
दिया गया है।

शाखा अधिकारी / महाप्रबन्धक

उत्तराखण्ड जल संस्थान

देहरादून – 248001

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री.....
सेवानिवृत्त..... की सेवा पुस्तिका में अंकित समस्त
प्रविष्टियां नियुक्ति तिथि..... से सेवानिवृत्त तिथि.....
तक अभिलेखों के अनुसार सत्यापित की जाती है।

शाखा अधिकारी / महाप्रबन्धक

उत्तराखण्ड जल संस्थान

देहरादून – 248001

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है, श्री.....
सेवानिवृत्त के हस्ताक्षर निम्नवत् अभिप्रमाणित किये जा
रहे हैं।

- 1.
- 2.
- 3.

शाखा अधिकारी / महाप्रबन्धक

उत्तराखण्ड जल संस्थान

देहरादून – 248001

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है, श्री/श्रीमती.....
सेवानिवृत्त उपरान्त विभागीय आवास खाली कर दिया
है एवं इससे सम्बन्धित कोई भी सामग्री एवं किसी भी प्रकार की देयता शेष नहीं है।

शाखा अधिकारी / महाप्रबन्धक

उत्तराखण्ड जल संस्थान

देहरादून – 248001

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि मेरे परिवार के निम्नवत् सदस्य हैं :-

क्रमांक	नाम	पदधारी से सम्बन्ध	आयु	जन्म तिथि
1.				
2.				
3.				

हस्ताक्षर
महाप्रबन्धक

हस्ताक्षर
सेवानिवृत्तकर्मि

उत्तराखण्ड जल संस्थान

देहरादून – 248001

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है, श्री
सेवानिवृत्त..... के विरुद्ध कोई भी सम्परीक्षा आपत्ति
अनिस्तारित नहीं है।

शाखा अधिकारी/महाप्रबन्धक

उत्तराखण्ड जल संस्थान

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है, श्री.....
को देय पेंशन नियमावली लागू दिनांक 05-09-1981 से के नियम-11 के अनुसार इनके
लिए देय यथोचित पेंशन अंशदान की धनराशि "उत्तराखण्ड जल संस्थान कार्मिकों की
पेंशन निधि" के नाम से खुले भारतीय स्टेट बैंक, देहरादून के खाता संख्या-10235929383
में जमा करवा दी गयी है।

शाखाधिकारी
उत्तराखण्ड जल संस्थान

महाप्रबन्धक
उत्तराखण्ड जल संस्थान

उत्तराखण्ड जल संस्थान

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि स्व० श्री/श्री/श्रीमती.....
का उत्तराधिकारी/पुत्र श्री/पत्नी श्रीमती.....
पदनाम..... द्वारा नगर पालिका/गढ़वाल/कुमायूं जल संस्थान द्वारा
दिए गए भविष्य निधि मद के विरुद्ध अंशदान व सेवा बोनस तथा उस पर देय ब्याज की
धनराशि ₹..... नियमावली के अनुरूप श्री.....
द्वारा इस कार्यालय को ड्राफ्ट/चैक संख्या..... दिनांक
₹..... के माध्यम से प्राप्त करवा दी गयी है एवं उक्त धनराशि "उत्तराखण्ड
जल संस्थान कार्मिकों की पेंशन निधि" के नाम से खुले भारतीय स्टेट बैंक, धर्मपुर देहरादून
के खाता संख्या-10235929383 में जमा करवा दी गयी है।

शाखाधिकारी
उत्तराखण्ड जल संस्थान

महाप्रबन्धक
उत्तराखण्ड जल संस्थान

उत्तराखण्ड जल संस्थान

देहरादून – 248001

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है, श्री.....
सेवानिवृत्त के विरुद्ध कोई विभागीय अनुशासनिक
कार्यवाही लम्बित नहीं है।

शाखा अधिकारी/महाप्रबन्धक

उत्तराखण्ड जल संस्थान

देहरादून – 248001

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती.....
के जिम्मे कोई भी धनराशि एवं सामान शेष नहीं है।

शाखा अधिकारी/महाप्रबन्धक

उत्तराखण्ड जल संस्थान

देहरादून – 248001

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है, श्री
सेवानिवृत्त..... के विरुद्ध कोई भी सम्परीक्षा आपत्ति
अनिस्तारित नहीं है।

शाखा अधिकारी/महाप्रबन्धक

रु0 10.00 के स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा
अभिप्रमाणित शपथ पत्र

मैं श्री पुत्र श्री/स्व0 श्री

पदनाम पता

कार्यालय का नाम उत्तराखण्ड जल संस्थान, जल भवन, नेहरू कालोनी, देहरादून द्वारा दी जाने वाली पेंशन तथा ग्रेच्युटी की धनराशि स्वीकार करते हुए यह घोषणा करता हूँ कि यदि नियमानुसार अनुमन्य पेंशन तथा ग्रेच्युटी से अधिक धनराशि किसी त्रुटिवश/अपरिहार्य कारणों से भुगतान कर दी जाती है तो अधिक भुगतान की गयी धनराशि की वापसी में मुझे कोई आपत्ति न होगी।

प्रार्थी के हस्ताक्षर

दो साक्षियों के हस्ताक्षर

1— हस्ताक्षर.....
नाम.....
पदनाम.....

2— हस्ताक्षर.....
नाम.....
पदनाम.....

रू0 10.00 के स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा
अभिप्रमाणित शपथ पत्र

मैं श्री पुत्र श्री/स्व0 श्री

पदनाम कार्यालय का नाम उत्तराखण्ड जल संस्थान, जल भवन,
नेहरू कालोनी, देहरादून, पता

यह घोषणा करता हूं कि श्रीमती मेरी धर्मपत्नी है, तथा वह किसी
सरकारी/अर्द्ध सरकारी/संस्था में कार्यरत है/नहीं है। वह एक गृहणी है, जो कि किसी
तरह का रोजगार नहीं करती है।

सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रार्थी के हस्ताक्षर

दो साक्षियों के हस्ताक्षर

- 1— हस्ताक्षर.....
नाम.....
पदनाम.....
- 2— हस्ताक्षर.....
नाम.....
पदनाम.....

UTTARAKHAND JAL SANSTHAN

Calculation memo of average Pay Pension & Gratuity

In respect of Sri.....
Designation.....retired/expired
on date.....a.m./p.m.

Uttarakhand Jal Sansthan (Retired/Expired)

Basic Pay from.....to.....Rs.....
Basic Pay from.....to.....Rs.....
Basic Pay from.....to.....Rs.....
Total..... Rs.....
Average emoluments Rs..... Rs..... Rs.....
Pension Calculated..... Rs.....
Gratuity Basic Pay Rs.....
D.A. Rs.....

Total Rs.

Gratuity calculated Rs.....X.....= Rs.....